

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिलाबून्दी(राज0)

पत्र संख्या :-161 / 2020
SCMS NO:- 2020/00012

दायर दिनांक: 17.01.2020

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. ग्यारसा पुत्र बजरंगा जाति धाकड निवासी महावीरपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. छीतर पुत्र प्रभु जाति धाकड निवासी महावीरपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

- वादीगण-

बनाम

1. भवरलाल पुत्र बजरंगा जाति धाकड निवासी महावीरपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. जगन्नाथी पुत्री बजरंगा जाति धाकड निवासी महावीरपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:-

वादीगण और प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 08.10.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम महावीरपुरा पटवार मण्डल सीसोला के कृषि भूमि खसरा संख्या 1254/03-14, 1257/02-15, 1258/2-06, 1260/02-11, 1261/2-03, 1262/01-03, 1263/04-10 कुल किता 07 कुल रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है तथा खसरा संख्या 1153/01-16, 1154/02-05, 1155/00-13, 1159/01-10 एवं 1161/00-06 कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। वादपत्र रजिस्टर किया जाकर दोनों पक्षों में बहस सुनी गई। बहस उपरांत तहसीलदार नैनवाँ को बंटवारा पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 23.10.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार नैनवाँ की पालना रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया-

1. छीतर आ0 प्रभु कौम धाकड सा0 देह रहन मुताबिक जमाबन्दी का हिस्सा खसरा संख्या 1254/03-14, 1263/01-15, 1262/0-15, 1159/01-10, 1161/00-06, 1155/0-15 कुल किता 6 कुल रकबा 08-11 बीघा।
2. ग्यारसा पि0 बजरंगा कौम धाकड सा0 देह का हिस्सा खसरा संख्या 1263/1-05, 1257/2-15, 1260/01-01, 1261/01-11, 1153/01-16, 1155/0-02 कुल किता 6 कुल रकबा 08-10 बीघा।
3. भवरलाल पि0 बजरंगा कौम धाकड सा0 देह रहन बदस्तुर जमाबन्दी का हिस्सा खसरा संख्या 1263/1-10, 1262/0-08, 1258/02-06, 1260/01-10, 1161/00-12, 1154/02-05 कुल किता 6 कुल रकबा 08-11 बीघा।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में बहस सुनी गयी। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट सीसोला में पेश हुई। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम महावीरपुरा पटवार मण्डल सीसोला के कृषि भूमि खसरा



Reader/Decesion/2021

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)



स्वामी पञ्च सभूत
महनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर

महनताना वकील पर
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हकमताना

1254/03-14, 1257/02-15, 1258/2-06, 1260/02-11, 1261/2-03, 1262/01-03,
1263/04-10 कुल किता 07 कुल रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1153/01-16,
1154/02-05, 1155/00-13, 1159/01-10 एवं 1161/00-06 कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 10
बिस्वा कृषि भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. छीतर आठ प्रभु कौम धाकड साठ देह रहन मुताबिक जमाबन्दी का हिस्सा खसरा संख्या
1254/03-14, 1263/01-15, 1262/0-15, 1159/01-10, 1161/00-06, 1155/0-15 कुल
किता 6 कुल रकबा 08-11 बीघा।
2. ग्यारसा पिठ बजरंगा कौम धाकड साठ देह का हिस्सा खसरा संख्या 1263/1-05, 1257/2-15,
1260/01-01, 1261/01-11, 1153/01-16, 1155/0-02 कुल किता 6 कुल रकबा 08-10
बीघा।
3. भंवरलाल पिठ बजरंगा कौम धाकड साठ देह रहन बदस्तुर जमाबन्दी का हिस्सा खसरा संख्या
1263/1-10, 1262/0-08, 1258/02-06, 1260/01-10, 1161/00-12, 1154/02-05 कुल
किता 6 कुल रकबा 08-11 बीघा।

तहसीलदार नैनवां की बंटवारा रिपोर्ट के साथ संलग्न बंटवारा नक्शा ट्रेस को परिशिष्ट "क" नाम दिया
गया है जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार नैनवां
को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन कर मौके पर कब्जा संभलाया जावे।
निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बुन्दी)